

## प्रेस नोट

कस्बा राठ में वाहनों में बैठे व्यक्तियों से पोकैट मारी व चोरी की सूचनाएं प्राप्त होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा अपराधियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी राठ व मुझ प्रभारी निरीक्षक राठ को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में इस घटना को कारित करने वाले गिरोह के सदस्यों के संबंध में गहराई से छानबीन, पता रसी, सुराग रसी की गई तो कस्बा राठ वा आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना कारित करने वाले गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। उक्त संकलित सूचना के आधार पर आज गिरोह के तीन सदस्यों 1.जीतेन्द्र कुचवदिया पुत्र वकील नि0 चरखारी रोड सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्री करीब 20 वर्ष 2.श्याम कुचवदिया पुत्र बच्चू नि0 ग्राम पारा पालेपुर रोड थाना नखल कानपुर देहात उम्री करीब 22 वर्ष 3.दीपक भौटिया पुत्र लक्ष्मी भौटिया नि0 स्टेशन रोड नमक फैक्ट्री के पीछे मु0 आलमपुरा बिलवई चुंगी थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को घटनाओ को कारित करने के लिए प्रयोग करने वाली मोटरसाइकिल, तमंचा, चाकू व पैकेट काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्लैड, चोरी किये गये रुपए व जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में कस्बा राठ व जनपद महोबा क्षेत्र में काफी बार घटना को किया जाना स्वीकार किया गया है तथा दिनांक 30/07/2019 को ग्राम अकौना के व्यापारी से डग्गा वाहन में 20,000/- रुपये पोकैट काट कर निकाले जाने की घटना को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 252/19 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत है तथा पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह लोग मोटरसाइकिल से किसी व्यक्ति को लिफ्ट देने के नाम पर बैठा लेते थे तथा रास्ते में उसका जेब काट कर पर्स व पैसे निकाल कर उतार देते हैं और यदि वाहन में बैठे व्यक्ति का पर्स काटना होता है तो एक व्यक्ति वाहन में बैठ जाता है बाकी के लोग मोटरसाइकिल से पीछे-पीछे चलते हैं। जैसे ही साथी व्यक्ति पोकैट मारी कर लेता है तो आटो रिक्शा से उतर जाता है और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं तथा इनके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल से कस्बे में घूमते समय यदि कोई घर बंद अवस्था में दिखाई पड़ता है तो वहां पर भी चोरी करने का प्रयास कर लेते हैं तो पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13/06/19 को मु0 मियापुरा कोट बाजार स्थित वीरेंद्र पाल के घर मे रात्रि के दौरान चोरी करने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 191/19 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर चोरी गये आभूषण अभि0गणो के द्वारा अपराध में संलिप्त मोटर साईकिल क्रमांक UP91N9694 की सीट के नीचे से आभूषण बरामद हुये है। जिन्हे वादी मुकदमा के द्वारा पहचाना गया है। अभि0गणो को गिरफ्तारी स्थल गल्ला मंडी नहर पुलिया से समय करीब 17.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभि0गणो में से अभि0-1 जीतेन्द्र कुचवदिया के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर अन्तर्गत धारा 3/25 A ACT सम्बन्धित मु0अ0सं0 258/19 व जामा तलाशी से चोरी किये गये 4170/- रुपया बरामद हुये अभि0-2 श्याम कुचवदिया से एक अदद चाकू कटार अन्तर्गत धारा 4/25 A ACT सम्बन्धित मु0अ0सं0 259/19 व जामा तलाशी से 2090/- रुपया तथा अभि0-3 दीपक भौटिया से चोरी व पोकैट मारी करने में प्रयुक्त दो अदद ब्लैड व जामा तलाशी से 1940/- रुपये बरामद हुये।

### **गिरफ्तार किये गये अभि0 –**

- 1.जीतेन्द्र कुचवदिया पुत्र वकील नि0 चरखारी रोड सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्री करीब 20 वर्ष
- 2.श्याम कुचवदिया पुत्र बच्चू नि0 ग्राम पारा पालेपुर रोड थाना नखल कानपुर देहात उम्री करीब 22 वर्ष
- 3.दीपक भौटिया पुत्र लक्ष्मी भौटिया नि0 स्टेशन रोड नमक फैक्ट्री के पीछे मु0 आलमपुरा बिलवई चुंगी थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

## बरामद सामान-

- 1-एक अदद तमंचा 315 बोर
- 2-एक अदद चाकू कटार
- 3-दो अदद ब्लैड
- 4-चोरी व पौकेट मारी के 8200/- रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 252/19
- 5-चाँदी के आभूषण सम्बन्धित मु0अ0सं0 191/19
- 6-एक अदद मोटर साइकिल

## गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-SI श्री भागरीथी पाण्डेय
- 2- SI श्री गौरब चौबे
- 3-हे0का0बृजेन्द्र सिंह
- 4-का0 उमाशंकर शुक्ला
- 5-का0 राजेन्द्र कुमार

